न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई

(पीठासीन अधिकारीः प्रीति मीणा, आर.ए.एस.)

दावा सं0——162/2024 (जीसीएमएस—2024/460)

प्रविष्टि दिनांक——21.11.2024

1. कजोड़ पुत्र रामपाल जाति माली निवारी करवा निवाई तह0 निवाई जिला टोंक
2. बाबूलाल पुत्र रामपाल जाति माली निवासी करवा निवाई तह0 निवाई जिला टोंक
3. छोटू पुत्र रामपाल जाति माली निवासी कस्बा निवाई तह0 निवाई जिला टोंक

वादीगण

बनाम

1. नाराण पुत्र मंशा जाति माली निवासी कस्बा निवाई तह0 निवाई जिला टोंक
2. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

प्रतिवादीगण

उपस्थित—श्री रमेश कुमार शर्मा – वकील वादीगण
पेराकार सरकार— प्रतिवादी सं0 2

निर्णय

दावा बाबत हक उदघोषणा दुरूस्ती इन्द्राज

दिनांक : 26/11/25

वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 2107 रकबा 0.2909 हैक्टेयर वाके कस्बा निवाई तह0 निवाई जिला—टोंक में स्थित है जो वादीगण के पूर्वज रामपाल पुत्र मंशा हिस्सा 1/3 की छोडी हुई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण अपने पिता रामपाल पुत्र मंशा के समय से उपरोक्त वर्णित भूमि के 1/3 हिस्से पर बहिस्सा बराबर—बराबर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। तथा उपरोक्त वर्णित भूमि में खातेदार रामपाल पुत्र मंशा का इंतकाल हो चुका है और उनके एक मात्र विधिक वारिस व उत्तराधिकारी वादीगण ही है। उपरोक्त वर्णित भूमि के खातेदार नाराण पुत्र मंशा का कोई खातेदार नहीं है फिर भी राजस्व रिकॉर्ड संहवन एवं त्रुटिवश नाराण पुत्र मंशा हिस्सा 1/6 गलत रूप से दर्ज हो गया है। जिसको राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाकर वादीगण को नाराण पुत्र मंशा के 1/6 हिस्से की भूमि में बहिस्सा बराबर—बराबर का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसंगत है। उपरोक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में वादीगण ने अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का प्रतिवादी सं0 2 से निवेदन किया कि नाराण पुत्र मंशा नाम को दुरूस्त किया जावे एवं वादीगण को उपरोक्त वर्णित भूमि में बहिस्सा बराबर—बराबर खातेदार घोषित किया जावे इस पर प्रतिवादी सं0 2 ने का कि न्यायालय आदेश से ही उक्त नाम हटाया जा सकता है। इसलिए वादीगण को उक्त वाद पेश करने की आवश्यकता हुई।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप में जमाबंदी संवत 2011—2030, जमाबंदी संवत 2070—2073, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 के सम्बन्ध में तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार निवाई द्वारा अपने पत्रांक 17149 दिनांक 12.11.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कस्बा निवाई के खाता संख्या 1652 मुता0 जमाबन्दी सम्वत् 2070—2073 जमाबन्दी 2079 (वर्ष 2022) से स्थायी अनुसार ख0नं0 2107 रकबा 0.2909 हैक्टैयर पर क्रम सं0 6 पर नाराण पुत्र मन्शा हिस्सा 1/6 जाति माली सा0 देह खाते0 दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक जानकारी मन्शा नाम का कोई व्यक्ति उपस्थितान् एवं सहखातेदारान् द्वारा नहीं होना बताया गया है। उक्त भूमि पर नाराण नाम का कोई व्यक्ति का कभी कब्जा काश्त भी नहीं रहा है।

अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद—पत्र में वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये नाराण पुत्र मंशा के हक व हिस्से का खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

वादीगण को बराबर–बराबर घोषित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार ने भी नाराण पुत्र मंशा का नाम जमाबन्दी की संहवन से दर्ज होना स्वीकार किया तथा नाराण पुत्र मंशा के हक व हिस्से की भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने पर सहमति जाहिर की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्ववान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध ख.न. 2107 की जमाबंदी मे वर्तमान मे 06 नम्बर पर नाराण पुत्र मंशा हिस्सा 1/6 अंकित है। लेकिन तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार नाराण पुत्र मंशा नाम के किसी व्यक्ति का नहीं होना बताया गया है। तथा इस नाम का कोई व्यक्ति कभी वादग्रस्त आराजियात पर काबिज नहीं रहा है। तथा पेरोकार सरकार द्वारा भी नाराण पुत्र मंशा हिस्सा 1/6 की भूमी संहवन से दर्ज होना स्वीकार किया जाकर उक्त हिस्से की भूमि को वादीगण को बराबर–बराबर खातेदार घोषित किये जाने पर सहमति प्रकट की है। इससे स्पष्ट है कि वादीगण के विरासत की भूमि में संहवन से 1/6 हिस्सा नाराण पुत्र मंशा के दर्ज हो गया है जबकि मंशा का एकमात्र वारिस रामपाल होना पेरोकार सरकार द्वारा स्वीकारा गया है। अतः न्याय हित मे न्यायालय वादी का वाद पत्र बाबत हक उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज स्वीकार करना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि जमाबन्दी संवत 2070–73 की आराजी ख.न. 2107 रकबा 0.2909 हैक्टेयर वाके ग्राम कस्बा निवाई पटवार हल्का कस्बा निवाई प्रथम में क्र.सं. 06 पर अंकित नाराण पुत्र मंशा हिस्सा 1/6 भूमी का वादीगण प्रत्येक को बराबर–बराबर हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित आराजियात में वादीगण प्रत्येक को अपने हिस्से की भूमि सहित जमाबन्दी में क्र.सं. 06 पर अंकित नाराण पुत्र मंशा हिस्सा 1/6 भूमी का बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार अर्थात प्रत्येक वादीगण को 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार जमाबंदी मे दर्ज कर पालना से अवगत करावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26/11/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)
(प्रीति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारीः प्रीति मीणा, आर.ए.एस.)

दावा सं0——162 / 2024 (जीसीएमएस—2024 / 460)

प्रविष्टि दिनांक——21.11.2024

1. कजोड़ पुत्र रामपाल जाति माली निवासी कस्बा निवाई तह0 निवाई जिला टोंक
2. बाबूलाल पुत्र रामपाल जाति माली निवासी कस्बा निवाई तह0 निवाई जिला टोंक
3. छोटू पुत्र रामपाल जाति माली निवासी कस्बा निवाई तह0 निवाई जिला टोंक

वादीगण

बनाम

1. नाराण पुत्र मंशा जाति माली निवासी कस्बा निवाई तह0 निवाई जिला टोंक
2. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

प्रतिवादीगण

उपस्थित—श्री रमेश कुमार शर्मा – वकील वादीगण
पेराकार सरकार— प्रतिवादी सं0 2

दावा—बाबत् उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, निवाई व हाजरी वकील वादीगण मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि जमाबन्दी संवत 2070—73 की आराजी ख.न. 2107 रकबा 0.2909 हैक्टेयर वाके ग्राम कस्बा निवाई पटवार हल्का कस्बा निवाई प्रथम में क्र.सं. 06 पर अंकित नाराण पुत्र मंशा हिस्सा 1/6 भूमी का वादीगण प्रत्येक को बराबर—बराबर हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित आराजियात में वादीगण प्रत्येक को अपने हिस्से की भूमि सहित जमाबन्दी में क्र.सं. 06 पर अंकित नाराण पुत्र मंशा हिस्सा 1/6 भूमी का बराबर—बराबर हिस्से का खातेदार अर्थात प्रत्येक वादीगण को 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार जमाबंदी मे दर्ज कर पालना से अवगत करावे।

(प्रीति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील	शून्य		खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन		शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीज़ान			मीज़ान		

आज दिनांक 26/11/25 को ये अंतिम डिक्री पर्चा मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)

(प्रीति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई